

**मध्य प्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल**

क्रमांक : एफ 4-3/2011/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2/8, 2011

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों को स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में ।

\*\*\*=\*\*\*

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4/5/2002/नियम/चार, दिनांक 30-8-2002 / 3-9-2002 में शासकीय सेवकों के प्रवर्गों को स्वीकृत मासिक स्थायी यात्रा भत्ता की दरों को पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्रं.	कर्मचारी का प्रवर्ग	पुनरीक्षित दर
1	2	3
1.	राजस्व निरीक्षक	300
2.	विक्रय अमीन	300
3.	सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्रामसेवक)/ सहायक विकास विस्तार अधिकारी	300
4.	जिला और तहसीलों में राजस्व भृत्य तथा जमादार	250
5.	वन विभाग के चेनमैन	250
6.	राजस्व, न्यायालय तथा वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर	250
7.	पटवारी (राजस्व विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले)	250
8.	पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक	300
9.	जिला कार्यकारी बल के प्रधान आरक्षक	200
10.	जिला कार्यकारी बल के आरक्षक	125

- 2/ केवल ऐसे क्षेत्रीय पशु चिकित्सा सहायक को स्थायी यात्रा भत्ते की पात्रता होगी, जो ऐसे पदों/स्थानों पर पदस्थ हों, जहां गहन यात्रा करना आवश्यक हो ।
- 3/ यह दरें दिनांक 01 अगस्त 2011 (जिसका भुगतान माह सितम्बर, 2011 में किया जावेगा) से प्रभावशील होंगी ।
- 4/ स्थाई यात्रा भत्ता स्वीकृति के लिये अन्य शर्तें यथावत रहेगीं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एस.एन. मिश्रा)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-3/2011/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 2/8/2011

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(डी.के. सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग